न्यायालय लेण्ड रिकॉर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा

(पिठासीन अधिकारीः— मनसुख राम डागोर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या 52/2019 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक 26/06/2019
निर्णय दिनांक 28/01/2021

अनवान

1. पूर्णाशंकर पिता हरिशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी कारोलिया तहसील रेलमगरा

प्रार्थी

विरूद्ध

1. मोहनशंकर पिता डालशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी कारोलिया तहसील रेलमगरा
2. सरस्वती देवी पत्नि गिरजाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी कारोलिया तहसील रेलमगरा
3. शान्ता देवी पत्नि नर्बदाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी कारोलिया तहसील रेलमगरा
4. विष्णु पिता शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कारोलिया तहसील रेलमगरा
5. जमनाशंकर पिता गोर्धन जाति ब्राहम्ण निवासी कारोलिया तहसील रेलमगरा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रेलमगरा जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129,111 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम कारोलिया, तहसील रेलमगरा की सरहद में प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की आ.स. 867, 868, 869 कुल किता 03 रकबा 04—11 बीघा स्थित है। तथा उक्त आराजीयात के चारो ही दिशाओं में विपक्षीगण की आ.स. 850, 851, 852, 866, 870, 1472/870, 832, 834, 836, 837 व 844 स्थित है। प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी व विपक्षीगण की आराजीयात् के बीच किसी भी प्रकार का कोई स्थाई सीमांकन चिन्ह स्थाई रूप से अंकित नहीं है न ही मौके पर विद्यमान है। जिससे प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच सीमा को लेकर हमेशा विवाद होने की सम्भावना बनी रहती है जिससे प्रार्थीगण अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी व विपक्षीगण की आराजीयात् के बीच स्थाई रूप से सीमांकन के रूप में पत्थरगड्डी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में कभी सीमा संबंधित विवाद नहीं हो। इस बाबत् प्रार्थीगण के लिए यह प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। इस बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण की आ.स. 867, 868, 869 व विपक्षीगण की आ.स. 850, 851, 852, 866, 870, 1472/870,

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

832, 834, 836, 837 व 844 के बीच किसी प्रकार के स्थाई सीमाचिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन सीमा संबंधी विवाद करते रहते है जिस बाबत् प्रार्थी ने सीमा संबंधित जानकारी हेतु प्रार्थना पपत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 31/05/2019 को भू अभिलेख निरिक्षक व पटवारी हल्का कारोलिया द्वारा मौके पर आकर सीमा जानकारी हेतु आये व मौके पर सीमा जानकारी कारवाई गई मगर विपक्षीगण 01 से लगायत 05 उक्त सीमा जानकारी को मानने के लिये तैयार नहीं होकर मौके पर विवाद व लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो रहे है। इसलिये विवश होकर उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का हेतु जब प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को पत्थरगड्डी कराने के लिए कहा और विपक्षी ने टालमटोल का जवाब दिया व अन्त में दिनांक 31/05/2019 को विपक्षीगण ने मना किया तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमियां गांव कारोलिया तहसील रेलमगरा में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको प्राप्त है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की आ.स. 867, 868, 869 व विपक्षीगण की आ.स. 850, 851, 852, 866, 870, 1472/870, 832, 834, 836, 837 व 844 की सीमा के बीच पत्थर गड्डी कराने का आदेश तहसीलदार साहब रेलमगरा के नाम पर फरमाया जावें। खर्चा नियमानुसार जमा कराने हेतु तैयार है।

अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने का हक अधिकार निहित है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम कारोलिया में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 867, 868, 869 व विपक्षीगण की आ. स. 850, 851, 852, 866, 870, 1472/870, 832, 834, 836, 837 व 844 के बीच सीमा के मध्य पत्थर गडडी किये हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगडडी की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
लैण्ड रेकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा